



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012025-260378
CG-DL-E-22012025-260378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2025/माघ 02, 1946

No. 368]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2025/MAGHA 02, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2025

का.आ. 372(अ).—भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 3706 (अ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 14 अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार ने भूमिगत रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की अनुसूची में पुणे मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर-2 के मेट्रो संरेखण में परिवर्तन किया था;

और भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 2819 (अ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 19 अगस्त, 2020 में प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की अनुसूची में पुणे मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर-1 के मेट्रो संरेखण में परिवर्तन किया था;

और केंद्रीय सरकार की राय है कि मेट्रो रेलवे के निर्माण और रखरखाव के लिए आगे और परिवर्तन आवश्यक है, जिससे यह संरेखण संबंधित है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की प्रविष्टियों में निर्दिष्ट सीमा के अनुसार संशोधन करती है, अर्थात्: -

सारणी

क्र.सं. (1)	अधिसूचना संख्या और तारीख (2)	संशोधन (3)
1	अधिसूचना संख्या का. आ 3706(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2019	उक्त अधिसूचना में, - "मंगलवार पेठ" शब्दों के स्थान पर "आर.टी.ओ., पुणे" शब्द रखे जाएंगे।
2	अधिसूचना संख्या का. आ. 2819(अ) तारीख 19 अगस्त, 2020	(i) "भोसारी (नासिक फाटा)" शब्दों के स्थान पर "नासिक फाटा" शब्द रखे जाएंगे; (ii) (2) "बुधवार पेठ" शब्दों के स्थान पर "कस्बा पेठ" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. के-14011/16/2017-एमआरटीएस-2]

जयदीप, विशेष कार्याधिकारी (यूटी)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2025

S.O. 372(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs *vide* number S.O. 3706(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th October, 2019, the Central Government made alteration to the metro alignment of Pune Metro Rail Project Corridor-2 in the Schedule of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs *vide* number S.O. 2819(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th August, 2020, the Central Government made alteration to the metro alignment of Pune Metro Rail Project Corridor-1 in the Schedule of the said Act ;

And whereas the Central Government is of the opinion that further alteration is necessary for the construction and maintenance of the Metro Railways to which this alignment relates.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Central Government hereby makes the amendments in the notifications specified in column (2) of the table below to the extent specified in the entries in column (3) of the said table, namely: —

Table

Sr. No. (1)	Notification number and Date (2)	Amendments (3)
1.	Notification number S. O. 3706(E) dated the 14 th October, 2019.	In the said notification, — for the words "Mangalwar Peth", the words "R.T.O., Pune" shall be substituted.
2.	Notification number S.O. 2819(E) dated the 19 th August, 2020.	In the said notification, - (i) for the words "Bhosari (Nashik Phata)", the words "Nashik Phata" shall be substituted; (ii) for the words "Budhwar Peth", the words "Kasba Peth " shall be substituted.

[F.No. K-14011/16/2017-MRTS-II]

JAIDEEP, Officer on Special Duty (UT)